

2079

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 693 OF 2023

IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM APPEARING IN DECCAN HERALD DATED 24.10.2023 TITLED "POLLUTION CONTROL BOARDS ARE THE WEAK LINK"

INDEX


NDOH: - 09.01.2025

S. NO.	PARTICULARS	ANNEXURE	PAGE NO.
1.	Progress Report of the Madhya Pradesh Pollution Control Board (R-13) in Compliance with the Order of Hon'ble NGT dated 11.09.2024.	-	2-9
2.	Detailed Report of the efforts undertaken by the Board for filing up the vacant posts as on 31.12.2024	R/13-1	10-33
3.	Final order dated 05.12.2024 passed by the Madhya Pradesh High Court, Principal Seat at Jabalpur in WP No. 24972/2023	R/13-2	34-35
4.	Minutes of the 168th MP Pollution Control Board Meeting dated 27.09.2024	R/13-3	36-54
5.	Letter no. 3194 issued by MP PCB dated 07.10.2024	R/13-4	55
6.	Letter 09.12.2024 issued by the Central Pollution Control Board	R/13-5	56-58
7.	Proof of Service	-	59

FILED BY:

PLACE: BHOPAL

DATE: 02.01.2025




**RAGHAV SHARMA
(ADVOCATE)**

Basement B – 5 / 202, Safdarjung Enclave, New Delhi – 110029


Mobile: (+91) 8527066461

Email: raghav@srcollegal.in



2080

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 693 OF 2023



IN THE MATTER OF:

IN RE: NEWS ITEM APPEARING IN DECCAN HERALD DATED 24.10.2023 TITLED "POLLUTION CONTROL BOARDS ARE THE WEAK LINK"


PROGRESS REPORT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 13
(MADHYA PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD)

I, Alok Saxena, S/o Late Shri Devendra Saxena , Chief Chemist, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Office at E-5, Arera Colony, Paryavaran Parisar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462016 do hereby affirm and state as under:

1. I say that the present affidavit is being filed on behalf of Respondent No. 13 in my capacity as Officer in Charge of the case in the present matter, I am well conversant with the facts and circumstances of the present case and as such I am competent to swear and file this Affidavit in the present Application.

2. That, the Hon'ble Tribunal in the order dated 11.09.2024 had passed the following directions:

"5. Though from that order it appears that the direction of Hon'ble the Supreme Court is to all the States to fill up the vacancies of PCBs/PCCs by 30.04.2025 but since Counsel for GNCTD has submitted that the said direction applies to the States falling within NCR, therefore, we hereby direct




that the State/UT not covered by the order of the Hon'ble Supreme Court dated 27.08.2024 will also fill up the posts lying vacant in the SPCBs/PCCs latest by 30.04.2025. All the possible efforts will also be made within this period to provide adequate infrastructure in the laboratories of the PCBs/PCCs and to make them fully functional.

6. We also take note of the fact that in some of the States/UTs the adequate number of laboratories do not exist, therefore, expeditious steps will be taken to cure it.


7. Let the progress report indicating the compliance of this order be filed by all the States/UTs by way of an affidavit by providing an advance copy to the Counsel for the CPCB at least one week before the next date of hearing."

The answering respondent (MP PCB) shall be making submissions with regards to the progress report and compliance of the above directions.

3. That, with respect to the infrastructure of the laboratories under the Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "MP PCB"), the Board has already furnished comprehensive details of the existing laboratory infrastructure in its affidavit dated 24.06.2024. It is further submitted that the process of upgradation and enhancement of the laboratory facilities is inherently continuous and dynamic, requiring periodic evaluation of technological developments, regulatory mandates, and budgetary considerations. The MP PCB is committed to ensuring that its laboratories remain adequately equipped to discharge their statutory responsibilities, and shall undertake such upgradation measures as are deemed necessary from time to time to maintain their effectiveness and efficiency.



4. That, with respect to the working strength of employees in the Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as "MP PCB"), it is most respectfully submitted that, as on 24.06.2024, against a total of 1,228 sanctioned posts, 783 posts were lying vacant. During the years 2023 and 2024, the MP PCB filled 76 vacant posts by way of direct recruitment, regularization of temporary employees, and compassionate appointments. It is further submitted that, in the period from June 2024 to December 2024, 16 employees of the Board retired from service. Consequently, as on 31.12.2024, out of the total 1,228 sanctioned posts, 785 posts stand vacant. In accordance with Regulation 6 of the Madhya Pradesh Pollution Control Board (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1996, out of these 785 vacant posts, 288 are to be filled through promotion, while 497 are to be filled through direct recruitment. It is also pertinent to note that 170 outsourced personnel are presently engaged by the Board. Thus, as on 31.12.2024, the effective working strength of the Board is 643 employees, comprising 473 regular employees and 170 outsourced personnel.
5. That with regards to filling up of the 497 vacancies in the Board by direct recruitment, it is submitted that the MP PCB has taken various efforts to fill up these vacant posts. The detailed report of the efforts undertaken by the Board as on 31.12.2024 is filed herewith as **Annexure R/13-1**.
6. That it is necessary to mention that the Board had published advertisement dated 22.06.2024 for filling up 7 vacant posts for Persons with Disability




candidates. This recruitment exercise is under process and is likely to be completed soon.

7. That the MP PCB had issued an advertisement dated 11.09.2023 for recruitment of 34 posts of Assistant Engineer (Environment) which was challenged before the Hon'ble Madhya Pradesh High Court, Principal Seat at Jabalpur in **WP No. 24972/2023 (Shubanshu Tripathi v State of Madhya Pradesh & Ors.)**. The Hon'ble High Court had order that the further recruitment process shall be subject to further orders as passed in the case. This petition was disposed of on 05.12.2024 with the following direction:

"1. The learned counsel appearing for the Pollution Control Board submits that they earlier tried to approach the M.P. Public Service Commission and M.P. Employees Selection Board to conduct an open examination for selection, but they did not give any heed and therefore, GATE scorecard criteria was adopted as an alternate mode of recruitment.

2. Ms. Janhavi Pandit, learned Additional Advocate General appearing on behalf of the State Government submits that in view of her instructions based on note sheet dated 16.04.2024, General Administration Department of State Government has given no objection for carrying out a recruitment examination through the M.P. Employees Selection Board.


3. The learned counsel appearing for the M.P. Employees Selection Board submits that they can conduct the examination upon receiving no objection from General Administration Department of the State Government and M.P. Public Service Commission. As already noted above, the General Administration Department has already given no objection.



4. *Since we are not giving any opinion on the issues raised in the present petitions, we hereby dispose of all the petitions directing the M.P. Employees Selection Board to conduct the recruitment examination and the question of no objection of PSC will not come in the way for the Employees Selection Board in conducting the examination."*

A copy of the final order dated 05.12.2024 is filed herewith as **Annexure R/13-2**. In compliance of the order passed by the Hon'ble High Court the MP PCB had been co-coordinating with the State Employee Selection Board for filling up of Seventy Nine (79) vacant posts.

8. That one of the principal challenges hindering the recruitment process within the Madhya Pradesh Pollution Control Board (hereinafter "the Board") has been the absence of a statutory mandate permitting the Board to independently fill vacant posts. Under the prevailing legal framework, the Board was constrained to rely on other State Government recruitment agencies and departments, such as the Madhya Pradesh Public Service Commission and the Madhya Pradesh State Employee Selection Board, among others, for filling its vacant positions. This dependence invariably led to administrative complexities, protracted timelines, and limited control over critical aspects of the recruitment procedure, thereby undermining the Board's ability to secure qualified personnel in a timely manner. In order to ameliorate these challenges and ensure a more efficient staffing mechanism, the Board proposed an amendment to the existing rules, seeking to vest itself with the authority to conduct independent recruitment drives for Class-I and Class-II Officers. This proposal was deliberated upon and duly approved at



the 168th meeting of the Board (Agenda Item 168.3) held on 27.09.2024. A copy of the minutes of the aforesaid meeting is annexed herewith as **Annexure R/13-3**.

9. That pursuant to the Board's resolution, the proposed amendment was forwarded to the Environment Department, Government of Madhya Pradesh, for requisite approval and further necessary action. A copy of the letter dated 07.10.2024, dispatched to the Environment Department in this regard, is annexed herewith as **Annexure R/13-4**. It is submitted that upon securing the necessary approvals and completing the ensuing formalities, the Board shall be enabled to undertake recruitment autonomously, which will, in turn, significantly reduce administrative delays and reinforce the Board's capacity to fulfill its statutory functions effectively.

10. That it is pertinent to mention that the MP PCB had written to the Central Pollution Control Board for filing up the post of Assistant Engineer (Environment) and Scientists. This letter was issued in reference to the order dated 05.02.2021 passed by the Hon'ble NGT (PB) in OA 95/2018 wherein it was observed that

"iv. It is suggested that if some of the PCBs find it difficult to select/recruit suitable candidates, a designated Committee of the MOEF&CC and CPCB, in consultation with such State PCBs, may explore possibility of the central selection mechanism so that the talent pool so selected can be made available for posting at appropriate locations, where requirement is found to be otherwise difficult. A plan may be prepared for continuous training of the incumbents at regional levels periodically."




However the Central Pollution Control Board vide letter dated 09.12.2024 had informed there is no central selection mechanism in CPCB. The relevant letters are enclosed herewith as Annexure R/13-5.

11. That it is most respectfully submitted that the Board is actively engaged in the process of filling its vacant posts in accordance with the directions, orders, and circulars issued from time to time by the Government of Madhya Pradesh. In particular, the Board has initiated the requisite procedures to fill 288 vacant posts through promotions, and is making every endeavor to conclude these exercises expeditiously, barring any unforeseen legal impediments that may arise from court proceedings challenging the recruitment or promotion process. The Board reiterates its unwavering commitment to comply with the orders of this Hon'ble Tribunal and continues to devote concerted efforts to ensure that these vacancies are filled at the earliest, thereby bolstering the Board's capacity to discharge its statutory duties effectively.

12. That the present progress report is being filed may be taken on record.

DEPONENT



VERIFICATION

I state that whatever has been stated herein above is true to my own knowledge, belief and based on the documents/records available in the office and the contents of the same are true and correct to the best of my knowledge.

DEPONENT

PLACE: BHOPAL

DATE: 02.01.2025

IDENTIFIED BY ME

SIGNATURE [Signature]
NAME PRANJAL PANDEY, ADVOCATE
ADDRESS BHOPAL

SOLEMNLY AFFIRMED BEFORE
ME BY THE WITHIN NAMED
01
02/01/2025
N. P. BALBHADRA
NOTARY-ADVOCATE
SHAHJANABAD, BHOPAL (M.P.)

2 JAN 2025




रिक्त पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
की गई कार्यवाही

क्र.	भर्ती संस्थान का नाम	बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही	अद्यतन स्थिति
1.	म.प्र. लोक सेवा आयोग	दिनांक 11/06/2013 को सहायक यंत्री (पर्यावरण) 10 पद व सहायक यंत्री (कम्प्यूटर) 01 पद की पूर्ति हेतु (मांग पत्र भेजा गया था)। लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश को बोर्ड द्वारा भेजे गये मांगपत्र में सूचित किया गया कि बोर्ड हेतु भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा सम्पन्न नहीं कराई जा सकती।	-
2.	एम.पी. ऑनलाइन, भोपाल	सहायक यंत्री (पर्यावरण) 17 एवं वैज्ञानिक के 05 पद पूर्ति हेतु GATE एवं UGC NET आधार पर एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन हेतु दिनांक 21/09/19 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त भर्ती प्रक्रिया के संबंध में मध्य प्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग से प्राप्त निर्देश अनुसार भर्ती प्रक्रिया को निरस्त किया गया।	-
3.	कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल	बोर्ड द्वारा दिनांक 24/03/2022 को निम्न पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजे गये :- (संलग्नक-1)	
		क्र. पदनाम भरे जाने वाले पदों की संख्या	-
		1. सहायक यंत्री (पर्यावरण) 34	-
		2. सहायक यंत्री (कम्प्यूटर) 01	-
		3. सहायक विधि अधिकारी 02	-
		4. उपयंत्री 07	
		5. रसायनज्ञ 21	भर्ती संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है।
		6. प्रयोगशाला सहायक 17	
4.	एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल	सहायक यंत्री (पर्यावरण) पद GATE स्कोर के आधार पर भर्ती हेतु बोर्ड द्वारा एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने हेतु दिनांक 11/09/23 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर याचिका WP No.24972/2023 (Shubhanshu Tripathi Vs The State of Madhya Pradesh & Otghers) में दिनांक 29/09/2023 को माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश "In the interregnum, the petitioner is permitted to apply for the post of Assistant Engineer (Environment) wherein the respondents to consider the case of the petitioner without reference to he possessing a valid GATE score of previous three years 2021, 2022 and 2023. All further actions of the respondents will be subject to further orders of this Court." के अनुपालन में बोर्ड के पत्र क्रमांक 2894, दिनांक	भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष दायर WP No. 24972/2023 (Shubhanshu Tripathi Vs The State of Madhya Pradesh & Others) में माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा आदेश दिनांक 05/12/24 पारित किया गया है :- "4. Since we are not giving any opinion on the issues raised in the present petitions, we hereby dispose of all the petitions directing the M.P. Employees Selection Board to conduct the recruitment examination and the question of no objection of PSC will not come in the way for the

कल्याण पांडे
अधीक्षक

		<p>04/10/2023 द्वारा एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, भोपाल को आगामी कार्यवाही करने हेतु लिखा गया है।</p>	<p>Employees Selection Board in conducting the examination". (संलग्नक-2)</p> <p>उक्त के संबंध में बोर्ड द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल को पत्र क्रमांक 3625 दिनांक 04/11/2024 के माध्यम से 79 पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव पत्र भेजा गया है। (संलग्नक-3)</p>																																
5.	कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल	<p>बोर्ड द्वारा कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र अनुसार पदों पर भर्ती संबंधी अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>पदनाम</th> <th>पद संख्या</th> <th>अद्यतन स्थिति</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सहायक यंत्री (पर्यावरण)</td> <td>34 पदों हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)</td> <td>01 पद हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>सहायक विधि अधिकारी</td> <td>02 पदों पर भर्ती हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजा गया।</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>शीघ्रलेखक ग्रेड-3</td> <td style="text-align: center;">06</td> <td>06 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>उपयंत्री</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td>05 पदों पर भर्ती एवं 02 पदों पर नियमितीकरण किया गया है।</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>रसायनज्ञ</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td>21 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>प्रयोगशाला सहायक</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td>15 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	पदनाम	पद संख्या	अद्यतन स्थिति	1.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	34 पदों हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।	-	2.	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	01 पद हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।	-	3.	सहायक विधि अधिकारी	02 पदों पर भर्ती हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजा गया।	-	4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	06	06 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।	5.	उपयंत्री	07	05 पदों पर भर्ती एवं 02 पदों पर नियमितीकरण किया गया है।	6.	रसायनज्ञ	21	21 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।	7.	प्रयोगशाला सहायक	21	15 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।	
क्र.	पदनाम	पद संख्या	अद्यतन स्थिति																																
1.	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	34 पदों हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।	-																																
2.	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	01 पद हेतु कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल को मांग पत्र भेजा गया।	-																																
3.	सहायक विधि अधिकारी	02 पदों पर भर्ती हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजा गया।	-																																
4.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	06	06 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।																																
5.	उपयंत्री	07	05 पदों पर भर्ती एवं 02 पदों पर नियमितीकरण किया गया है।																																
6.	रसायनज्ञ	21	21 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।																																
7.	प्रयोगशाला सहायक	21	15 पदों पर भर्ती कर ली गयी है।																																
6.	कर्मचारी चयन मण्डल, भोपाल	<p>बोर्ड द्वारा दिनांक 08/12/2022 को बैकलॉग के निम्न पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजा गया :- (संलग्नक-4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>पदनाम</th> <th>भरे जाने वाले पदों की संख्या</th> <th>भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>निम्न श्रेणी लिपिक/ टेलीफोन ऑपरेटर</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td>भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>वाहन चालक</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td>भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>प्रयोगशाला परिचारक</td> <td style="text-align: center;">07</td> <td>4 पदों पर भर्ती कर ली गयी है। शेष 03 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>चपरासी/चौकीदार/स्वीपर</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td>भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</td> </tr> </tbody> </table> <p>बोर्ड द्वारा दिनांक 15/03/2024 को निम्न पदों की पूर्ति हेतु कर्मचारी चयन मण्डल को मांग पत्र भेजे गये :- (संलग्नक-5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>पदनाम</th> <th>भरे जाने वाले पदों की संख्या</th> <th>भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>वैज्ञानिक</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>अनुभाग अधिकारी</td> <td style="text-align: center;">02</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	1.	निम्न श्रेणी लिपिक/ टेलीफोन ऑपरेटर	02	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	2.	वाहन चालक	02	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	3.	प्रयोगशाला परिचारक	07	4 पदों पर भर्ती कर ली गयी है। शेष 03 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	4.	चपरासी/चौकीदार/स्वीपर	11	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	क्र.	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।	1.	वैज्ञानिक	18		2.	अनुभाग अधिकारी	02		
क्र.	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
1.	निम्न श्रेणी लिपिक/ टेलीफोन ऑपरेटर	02	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
2.	वाहन चालक	02	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
3.	प्रयोगशाला परिचारक	07	4 पदों पर भर्ती कर ली गयी है। शेष 03 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
4.	चपरासी/चौकीदार/स्वीपर	11	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
क्र.	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या	भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रचलन में है।																																
1.	वैज्ञानिक	18																																	
2.	अनुभाग अधिकारी	02																																	


 कल्याण पांडे
 अधीक्षक

		3.	विधि सहायक	05	
		4.	प्रचार सहायक	02	

दिनांक 24/03/22 को कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	34
2	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	1
3	सहायक विधि अधिकारी	1
4	उपयंत्री	1
5	रसायनज्ञ	21
6	प्रयोगशाला सहायक	17

दिनांक 08/12/22 को कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र

7	निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर	2
6	वाहन चालक	2
9	प्रयोगशाला परिचारक	2
10	चपरासी/चौकीदार/स्वीपर	11
योग-अ		104

दिनांक 15/03/24 को कर्मचारी चयन मण्डल को भेजे गये मांग पत्र

क्र.	पदनाम	पद संख्या
1	वैज्ञानिक	18
2	अनुभाग अधिकारी	2
3	विधि सहायक	2
4	प्रचार सहायक	2
योग-ब		27
कुल योग-अ+ब		2

- इस प्रकार बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के कुल 131 पदों पर भर्ती के संबंध में मांग पत्र भेजे गये हैं जिसमें से 76 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा शेष 55 पदों पर कार्यवाही प्रचलन में है।
- बोर्ड के आदेश दिनांक 18/04/2023 द्वारा 20 स्थायीकर्मियों को नियमित किया गया है। जिनमें 02 प्रयोगशाला सहायक, 01 अनुरेखक, 13 निम्न श्रेणी लिपिक, 02 उपयंत्री तथा 02 वाहन चालक हैं। (संलग्नक-6)
- बोर्ड के आदेश दिनांक 27/10/2023 द्वारा 06 निम्न श्रेणी लिपिक तथा 01 इलेक्ट्रिशियन को तदर्थ से नियमित किया गया है। (संलग्नक-7)
- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्त विनियम 1996 (प्रकाशन दिनांक तक संशोधन एवं अद्यतीकरण सहित 2024) का प्रस्ताव राज्य बोर्ड की 168 वीं बैठक दिनांक 27/09/2024 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 168.3 में अधिकारियों के चयन हेतु प्रस्ताव पारित हुआ है।



 राज्य बोर्ड
 तकनीकी शिक्षा
 मध्य प्रदेश

- बोर्ड द्वारा दिव्यांगजन के आरक्षित 07 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है। (संलग्नक-8)
- माह जून,2024 से दिसम्बर,2024 के दौरान कुल 16 अधिकारी/कर्मचारी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं।
- बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली को सहायक यंत्री (पर्यावरण) एवं वैज्ञानिक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु पत्र दिनांक 04/11/2024 (संलग्नक-3 अनुसार) भेजा गया था जिसके संबंध में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा पत्र दिनांक 09/12/2024 से सूचित किया गया है कि सीपीसीबी द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में नियुक्ति हेतु कोई भी प्रावधान नहीं है। (संलग्नक-9)
- बोर्ड के आदेश दिनांक 19/12/2024 द्वारा 01 भृत्य/चौकीदार के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी गयी। (संलग्नक-10)
- आज दिनांक तक की स्थिति में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कुल 785 पद रिक्त हैं, जिनमें से पदोन्नति के 288 तथा सीधी भर्ती के 497 पद रिक्त हैं।
- बोर्ड में वर्तमान में नियमित रूप से कुल 443 तथा आउटसोर्स पर कार्यरत कुल 170 कर्मचारी कार्यरत हैं।


कल्पना प्राज्ञारे
अधीक्षक



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

संलग्नक
24

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it mppcb@rediffmail.com

क्रमांक ५५८ सा.प्र./प्रनिबो/२०२२
प्रति,

भोपाल, दिनांक

24 MAR 2022

नियंत्रक,
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बाबत।

सन्दर्भ:- प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग द्वारा अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड को प्रेषित अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 24/3/2022

उपरोक्त विषयांगत कृपया सन्दर्भित पत्र का अवलोकन हो, जो मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेवा भर्ती विनियम 1996 अनुसार सीधी भर्ती से भरे जाने वाले द्वितीय श्रेणी के सहायक यंत्री (पर्यावरण) सहायक यंत्री(कम्प्यूटर) एवं सहायक विधि अधिकारी के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से शीघ्र कराने संबंधी है। पदवार संख्या संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	सहायक यंत्री (पर्यावरण)	34
2	सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)	01
3	सहायक विधि अधिकारी	02

बोर्ड के उपरोक्त सभी पद अकार्यपालिक द्वितीय श्रेणी के हैं, उपरोक्त पदों पर लोक सेवा आयोग पर भर्ती किये जाने से मना किये जाने संबंधी पत्र सन्दर्भित पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

बोर्ड उपरोक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कराना चाहता है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र जिसमें पदों की कुल संख्या, पदों हेतु आवश्यक आरक्षण रोस्टर अनुसार संभावित संख्या, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक आर्हता संबंधी जानकारी व बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 यथा संशोधित 2015 की प्रति संलग्न है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु बोर्ड की ओर से श्री सुधीर श्रीवास्तव, प्रशासकीय अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया जाता है, जिसका सम्पर्क मोबाईल नम्बर 9425006344 है।

अनुरोध है कि उपरोक्त पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर बोर्ड अवगत कराने का कष्ट करें।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

सुधीर श्रीवास्तव

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(सुधीर श्रीवास्तव)
प्रशासकीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

म.प्र. प्रदेश विधान बोर्ड, भोपाल
 प्रशासकीय अधिकारी
 (सीधी शिवालय)
 भोपाल

संलग्न : उपरोक्त वारंट।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवगत

कष्ट करे।

अवरोध है कि उपरोक्त पर पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर बोर्ड अवगत करावे का
 तबबर 9425006344 है।

प्रशासकीय अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया जाता है, जिसका समयक मबाईल
 की प्रति संलग्न है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु बोर्ड की ओर से श्री सीधी शिवालय,
 आदिता संबंधी जानकारी व बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 तथा संशोधित 2015
 आवेदनक आरक्षण स्टेट अवसर संभावित संख्या, वतनमान, आवेदनक शैक्षणिक
 कार्यवाही हेतु विधायित प्रपत्र में मांगपत्र निम्न परों की कुल संख्या, परों हेतु
 बोर्ड के उपरोक्त सभी पर अकार्यपालिक श्रेणी के हैं, उपरोक्त परों पर भर्ती संबंधी

कम	परनाम	भरे जाने वाले परों की संख्या
1	उपरोधी	7
2	रसायनज्ञ	21
3	प्रयोगशाळा सहायक	17

प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कराना चाहता है :-
 1996 अवसर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले निम्न परों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही,
 उपरोक्त विधायित लेख है कि मध्यप्रदेश प्रदेश विधान बोर्ड, सेवा भर्ती विनियम

विषय:- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले परों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बाबत।

भोपाल (म.प्र.)।
 प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,
 विधानक,

प्रति,

कमांक 928 सा.प्र./प्रतिबो/2022

भोपाल, दिनांक 24/03/22

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

पर्यावरण परिसर, ई-5, असेा कॉलोनी, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदेश विधान बोर्ड



1

2094



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com



क्रमांक 992 सा.प्र.-414/प्रनिबो/2024
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 MAR 20

नियंत्रक,
कर्मचारी चयन मण्डल,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय :- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से कराना चाहता है :-

क्रमांक	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	वैज्ञानिक	18
2	अनुभाग अधिकारी	02

बोर्ड के उपरोक्त सभी पद द्वितीय अकार्यपालिक श्रेणी के हैं, उपरोक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जाने से मना किये जाने संबंधी पत्र संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के निम्न पदों पर भर्ती कराई जाना है :-

क्रमांक	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	विधि सहायक	05
2	प्रचार सहायक	02

बोर्ड उपरोक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से कराना चाहता है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र जिसमें पदों की कुल संख्या, पदों हेतु आवश्यक आरक्षण रोस्टर अनुसार संभावित संख्या, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी व बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 यथा संशोधित 2015 की प्रति संलग्न है। बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम में संविदा पद नहीं है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु की ओर से श्री मुकेश कुमार गोयल, अनुभाग अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया जाता है, जिनका सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9424637548 है।

अनुरोध है कि उपरोक्त पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(आर.एस. कोरी)
डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



1

WP-24972-2023

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE SURESH KUMAR KAIT,
CHIEF JUSTICE

&

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK JAIN

ON THE 5th OF DECEMBER, 2024

WRIT PETITION No. 24972 of 2023

SHUBHANSHU TRIPATHI

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WITH

WRIT PETITION No. 24764 of 2023

SATYAM MISHRA

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WRIT PETITION No. 25580 of 2023

SATISH KUMAR CHOUKSEY

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WRIT PETITION No. 25604 of 2023

AJAY KUMAR MISHRA

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

Appearance:

Shri Manoj Sharma - Sr. Advocate with Ms. Lavankya Verma- Advocate, Shri Quazi Fakhruddin- Advocate, Shri Somesh Awasthi and Shri Shivam Mishra - Advocate for the petitioners in their respective cases.

Ms. Janhavi Pandit - Additional Advocate General for the respondents / State.

Shri Anshul Tiwari - Advocate, Shri Siddharth Sharma- Advocate, Shri Nikhil Bhatt - Advocate, Shri Rahul Diwakar - Advocate and Shri Aman Gupta - Advocate for the respondents in their respective cases.

ORDER

Per. Hon'ble Shri Justice Suresh Kumar Kait, Chief Justice

The learned counsel appearing for the Pollution Control Board submits that they earlier tried to approach the M.P. Public Service Commission and M.P. Employees Selection Board to conduct an open examination for selection, but they did not give any heed and therefore, GATE scorecard criteria was adopted as an alternate mode of recruitment.

2. Ms. Janhavi Pandit, learned Additional Advocate General appearing on behalf of the State Government submits that in view of her instructions based on note sheet dated 16.04.2024, General Administration Department of State Government has given no objection for carrying out a recruitment examination through the M.P. Employees Selection Board.

3. The learned counsel appearing for the M.P. Employees Selection Board submits that they can conduct the examination upon receiving no objection from General Administration Department of the State Government and M.P. Public Service Commission. As already noted above, the General Administration Department has already given no objection.

4. Since we are not giving any opinion on the issues raised in the present petitions, we hereby dispose of all the petitions directing the M.P Employees Selection Board to conduct the recruitment examination and the question of no objection of PSC will not come in the way for the Employees Selection Board in conducting the examination.

(SURESH KUMAR KAIT)
CHIEF JUSTICE

(VIVEK JAIN)
JUDGE

nks

2097



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742, e-mail: nappcb@rediffmail.com

क्रमांक 3625 सा.प्र.-256/पार्ट-4/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक

04 NOV 2024

प्रति,

नियंत्रक,
कर्मचारी चयन मण्डल,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय:- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बाबत।

- संदर्भ:-**
1. बोर्ड का पत्र क्रमांक 958, दिनांक 24/03/2022
 2. बोर्ड का पत्र क्रमांक 4718, दिनांक 08/12/2022
 3. बोर्ड का पत्र क्रमांक 537, दिनांक 06/02/2024
 4. बोर्ड का पत्र क्रमांक 992 दिनांक 15/03/2024
 5. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद यथा सहायक यंत्री (पर्यावरण)-34, सहायक यंत्री (कम्प्यूटर)-01, सहायक विधि अधिकारी-02, निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर-02, वाहन चालक-02, चपरासी/चौकीदार/स्वीपर-11, वैज्ञानिक के 11 अनुभाग अधिकारी के 02, विधि सहायक के 05 तथा प्रचार सहायक के 0 पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से कराने हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र जिसमें पदों की कुल संख्या, पदों हेतु आवश्यक आरक्षण रोस्टर अनुसार संभावित संख्या, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी व बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 यथा संशोधित 2011 की प्रति भी भेजी गयी थी, किन्तु उक्त परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक तक भर्ती संबंधी कार्यवाही अपेक्षित है।

उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024 द्वारा निम्नानुसार निर्देशित किया गया है कि दिनांक 30/04/25 तक रिक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही पूर्ण की जाये :-

5. Though from that order it appears that the direction of Hon'ble the Supreme Court to all the States to fill up the vacancies of PCBs/PCCs by 30.04.2025 but since Counsel for GNCTD has submitted that the said direction applies to the States falling within NCT therefore, we hereby direct that the State UT not covered by the order of the Hon'ble Supreme Court dated 27.08.2024 will also fill up the posts lying vacant in the PCBs/PCCs latest by 30.04.2025. All the possible efforts will also be made within this period to provide adequate infrastructure in the laboratories of the PCBs/PCCs and to make them fully functional.


2098

6. Let the progress report indicating the compliance of this order be filed by all the States/UTs by way of an affidavit by providing an advance copy to the Counsel for the CPCB at least one week before the next date of hearing.

7. List on 09.01.2025

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर शीघ्रतिशीघ्र बो को अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि माननीय अधिकरण को तदनुसार सूचि किया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।


सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

कमांक 3626 सा.प्र.-256/पार्ट-4/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

04 NOV 2024

निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।




मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेस कॉलोनी, भोपाल

क्रमांक 4718 सा.प्र./प्रनिबो/2022

भोपाल, दिनांक



08 DEC 2022

प्रति,

नियंत्रक,
प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड,
भोपाल म0प्र,

विषय :- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले बैकलॉग पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बावत् ।



उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेवा भर्ती विनियम 1996 अनुसार सीधी भर्ती बैकलॉग से भरे जाने वाले निम्न पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड के माध्यम से कराना चाहता है:-

क्रमांक	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	निम्न श्रेणी लिपिक/टेलीफोन ऑपरेटर	2
2	वाहन चालक	2
3	प्रयोगशाला परिवारक	7
4	चपरासी/चौकीदार/स्वीपर	11

बोर्ड के उपरोक्त सभी पद अकार्यपालिक श्रेणी के हैं। उपरोक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र जिसमें पदों की कुल संख्या, पदों हेतु आवश्यक आरक्षण रोस्टर अनुसार संभावित संख्या, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक आर्हता संबंधी जानकारी संलग्न है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु बोर्ड की ओर से श्री सुधीर श्रीवास्तव, विधि अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया जाता है, जिसका सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9425006344 है ।

अनुरोध है कि उपरोक्त पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर बोर्ड अवगत कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

सक्षम प्राधिकारि द्वारा अनुमोदित

(सुनील खदौरिया)

प्रशासकीय अधिकारी

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

011



2100 मध्य प्रदेश प्रदूषण

पर्यावरण परिसर, ई-5, अं

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 246374- e-mail: mppcb@rediffmail.com

नियंत्रण बोर्ड
नी, भोपाल



क्रमांक 992 सा.प्र.-414/प्रनिबो/2024
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15 MAR 2024

नियंत्रक,
कर्मचारी चयन मण्डल,
भोपाल (म.प्र.)।

विषय :- सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही बाबत।

विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से कराना चाहता है :-

क्रमांक	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	वैज्ञानिक	18
2	अनुभाग अधिकारी	8

बोर्ड के उपरोक्त सभी पद द्वितीय अकार्यपालिक श्रेणी के हैं, उपरोक्त पदों पर लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती किये जाने से मना किये जाने संबंधी पत्र संलग्न है।

उपरोक्त के अतिरिक्त तृतीय श्रेणी के निम्न पदों पर भर्ती कराई जाना है :-

क्रमांक	पदनाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या
1	विधि सहायक	05
2	प्रचार सहायक	02

बोर्ड उपरोक्त पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल के माध्यम से कराना चाहता है, इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में मांगपत्र जिसमें पदों की कुल संख्या, पदों हेतु आवश्यक आरक्षण रोस्टर अनुसार संभावित संख्या, वेतनमान, आवश्यक शैक्षणिक अर्हता संबंधी जानकारी व बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम 1996 यथा संशोधित 2015 की प्रति संलग्न है। बोर्ड के सेवा भर्ती विनियम में संविदा पद नहीं है। उपरोक्त कार्यवाही हेतु की ओर से श्री मुकेश कुमार गोयल, अनुभाग अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया जाता है, जिनका सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9424637548 है।

अनुरोध है कि उपरोक्त पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही कर बोर्ड को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित

(आर.एस. कोरी)
डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 1107 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक 18 APR 02

// कार्यालय आदेश //

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07/10/2016 के सिद्धांत को आधार मानकर राज्य बोर्ड की 164वीं बैठक दिनांक 08/02/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड में कार्यरत निम्नलिखित स्थायीकर्मियों, जिन्हें रोवा देते हुए 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है तथा वे तृतीय श्रेणी के निम्नतर सीधी भर्ती के पद हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पदनाम, वेतनमान में नियमित किया जाता है, संबंधित कर्मचारियों की पदस्थापना यथावत रस्ती जाती है :-

क्र. (1)	अधिकारी/कर्मचारी का नाम (2)	पदनाम (3)	वेतनमान (4)
1	श्री माता प्रसाद तिवारी	उपयंत्री	32800-103600
2	श्री सतीश चौकसे	उपयंत्री	32800-103600
3	श्री लालजी मिश्रा	अनुरेखक	19500-62000
4	श्री कृष्णबल्लभ शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	25300-80500
5	श्री राघवेन्द्र सिंह	प्रयोगशाला सहायक	25300-80500
6	श्रीमती शारदा पाण्डेय	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
7	श्री योगेन्द्र कुमार द्विवेदी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
8	श्री विजय कुमार शुक्ला	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
9	श्री राजेन्द्र कुमार द्विवेदी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
10	श्री शिवचरण सिंह	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
11	श्री रामसंतोष शुक्ला	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
12	श्री शैलेन्द्र कुमार तिवारी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
13	श्रीमती शकुन्तला पैठनकर	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
14	श्री राजेश कुमार सिंह	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
15	श्री अशोक सक्सेना	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
16	श्री योगेन्द्र कुमार वैश	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
17	श्री अरविन्द पारे	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
18	श्री इन्द्रभान मिश्रा	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
19	श्री श्यामस्वरूप खटीक	वाहन चालक	19500-62000
20	श्री विक्रम सिंह चौहान	वाहन चालक	19500-62000

- वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त की जायेगी, एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन एवं भत्ते यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होंगे।
- उपरोक्त वेतन बैंड के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अलग भत्ते देय होंगे।

2102

3. आदेश के अनुपालन में स्थायीकर्मियों को उपरोक्त वेतन एवं भत्ते की पात्रता कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से होगी।
4. उपरोक्त नियुक्ति आदेश दस्तावेजों के सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा। सत्यापन में जानकारी असत्य एवं भ्रामक पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
5. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक को स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा में उपयुक्तता संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. क्रमांक 10, 14 एवं 16 पर उल्लेखित कर्मचारियों को तकनीकी योग्यता अस्तंगत टायपिंग परीक्षा पास नहीं होने के कारण नियुक्ति आदेश से एक वर्ष की अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
7. आदेश में उल्लेखित कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी निर्धारण पृथक से किया जावेगा।
8. बोर्ड उपरोक्त आदेश को संशोधित करने अथवा निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

क्रमांक 1108 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

18 APR 20

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी/यूनिट हेड, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. नोटिस बोर्ड/आईर बुक/गार्ड फाइल/आईटी शाखा/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कालोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com

कमांक 3098 स्था/प्रनिबो/2023

भोपाल, दिनांक

27 OCT 2023

// कार्यालय आदेश //

राज्य बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 27/09/2023 में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड में वर्ष 1994 से तदर्थ रूप में कार्यरत कर्मचारियों को, जिन्हें नियमित कर्मचारी की भांति वेतन, भत्ते व अन्य सुविधायें प्राप्त हो रही हैं एवं इन कर्मचारियों के नियमितीकरण से बोर्ड पर कोई वित्तीय भार नहीं आवेगा, को उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार पदनाम, वेतनमान में नियमित किया जाता है, संबंधित कर्मचारियों की पदस्थापना यथावत रखी जाती है :-

क्र.	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री भूपत सिंह	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
2	श्री राघवेन्द्र सिंह राजपूत	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
3	श्री महेन्द्र सिंह सेंगर	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
4	श्री हनीफ कुरैशी	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
5	श्री शशि मोहन	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
6	श्री अनिल कुमार पी.जी.	निम्न श्रेणी लिपिक	19500-62000
7	श्री अविनाश कुमार कटियार	इलेक्ट्रिशियन/डीजी सेट ऑपरेटर	19500-62000

- वर्तमान नियुक्ति अस्थाई है तथा दोनों पक्षों द्वारा एक माह की पूर्व सूचना पर सेवा समाप्त की जायेगी, एक माह की पूर्व सूचना के अभाव में एक माह का वेतन एवं भत्ते यथास्थिति देय अथवा वसूली योग्य होंगे।
- उपरोक्त वेतन बैंड के साथ-साथ बोर्ड द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अन्य भत्ते देय होंगे।
- कमांक 1 से 6 पर उल्लेखित कर्मचारियों को तकनीकी योग्यता अन्तर्गत नियुक्ति आदेश से 02 वर्ष की अवधि में CPCT परीक्षा उत्तीर्ण करने संबंधी प्रमाण - पत्र जमा करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. आदेश में उल्लेखित कर्मचारियों की वरिष्ठता संबंधी निर्धारण पृथक से किया जावेगा।
5. नियमितीकरण आदेश जारी होने के दिनांक के पूर्व की अवधि का कोई भी एरियर आदि देय नहीं होगा।
6. बोर्ड उपरोक्त आदेश को संशोधित करने अथवा निरस्त करने हेतु स्वतंत्र होगा।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

क्रमांक 3099 स्था/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक

27 OCT 2023

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अध्यक्ष/सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी/यूनिट हेड, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, की ओर सूचनार्थ।
4. वित्त अधिकारी, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. सर्व संबंधित कर्मचारियों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- ✓ 6. नोटिस बोर्ड/आर्डर बुक/गार्ड फाइल/आईटी शाखा/व्यक्तिगत नस्ती।

(चन्द्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



मध्य प्रदेश प्रदूषण निरोधक बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

फोन : 0755-2464428, 2466191, फैक्स : 0755-2463742, E-mail : it.mppcb@rediffmail.com

विज्ञापन

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के एन क्रमांक एफ-7-19/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 31.05.2024 के प्रावधान अनुसार विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजनों के निम्न पदों की पूर्ति बॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से की जाना है। निधित योयता एवं अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी दिनांक 3 जुलाई 2024 को सार्यकाल 5.00 बजे तक सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल को आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा स्वयं जमा कर सकते हैं, उक्त अवधि पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे :-

क्र.	पदनाम	दिव्यांगजनों की शर्तों हेतु पद संख्या	वैतनमान	शैक्षणिक योग्यता	
	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (VH)	बहरे और कम सुनने वाले (EH)	लोकोपीटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, धोनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्रोफी (LD)	ऑटिज्म, जैडिक विव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मानसिक बीमारी और बह विकलांगता (MD)	
1.	शौचालयक ग्रेड-3		36200-114800 (लेवल-9)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय/डीओईएसीसी से डिप्लोमा/शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मोडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स/शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग प्रमाण-पत्र। 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से सीपीसीटी द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं/परिषद से 100 शब्द प्रति मिनिट गति से शॉर्टहैंड उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र।	
2.	सिन्न श्रेणी लिपिक		19500-62000 (लेवल-4)	माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्य प्रदेश से हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण तथा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/मुक्त विश्वविद्यालय/डीओईएसीसी से डिप्लोमा/शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज से मोडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स/शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट प्रमाण-पत्र। 30 शब्द प्रति मिनिट की गति से सीपीसीटी द्वारा प्रदाय कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण-पत्र।	
3.	प्रयोगशाला परिचारक		18000-56900 (लेवल-3)	मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल से विज्ञान विषय के सात हायर सेकेण्ड्री 10+2	
4.	चमपासी/चौकीदार		15500-49000 (लेवल-1)	कक्षा 8वीं पास।	

- अन्य शर्तें :-**
1. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों के स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां तथा पासपोर्ट साइज के स्व-प्रमाणित दो फोटोप्राफ।
 2. मध्य प्रदेश का मूल/स्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र।
 3. आयु सीमा - 18 से 45 वर्ष (सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट समाहित है) आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी।
 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
 5. शासन द्वारा जिम्मेदार गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त विकलांग होने का प्रमाण पत्र।
 6. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र।
 7. विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे जिस आवेदक की दिनांक 26.01.2001 या इसके बाद शासन निदेश से अधिक संतान वाले आवेदक आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे।
 8. अपूर्ण/भ्रष्टिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त किया जायेगा।
 9. आवेदक द्वारा असत्य/भ्रामक/मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरुद्ध नियुक्ति हो जाने पर, नियुक्तकर्ता प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
 10. नियुक्ति सम्बंधी समस्त अधिकार सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के पास सुरक्षित रहेंगे।
- नोट :- आवेदन संबंधी जानकारी विभागीय वेबसाइट <https://www.mppcb.mp.gov.in/NoticeBoard.aspx> से डाउनलोड की जा सकती है। आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालयीन समय में बोर्ड से प्राप्त किया जा सकता है। चयन सूचना आवेदकों को उनके आवेदन में उल्लेखित पते पर डाक द्वारा, ई-मेल अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से दी जायेगी। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में शर्त/नियमों में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है, तो उसकी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्राधिकार, जिला भोपाल रहेगा।

डायरेक्टर पर्यावरण (प्रशासन)

आवेदन का प्रारूप

प्रति,

सदस्य सचिव,
मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल। (म.प्र.)-462016

नवीनतम
रंगीन फोटो

1. आवेदित पद का नाम
2. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम
3. आवेदक/आवेदिका के पिता का नाम
4. 1/1/2024 को जन्म तिथि (10+2 के प्रमाण पत्र के आधार पर) : वर्ष माह दिन
5. जाति :
6. यदि आवेदक विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक
7. जीवित बच्चों का विवरण
8. वर्तमान डाक का पता
9. स्थाई पता
10. दिनांक को आयु : वर्ष माह दिन
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम
12. शैक्षणिक योग्यता (कम्प्यूटर डिप्लोमा एवं हिन्दी से सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड की जानकारी सहित)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	प्राप्तांक	श्रेणी

13. अतिरिक्त विशेष योग्यता/अनुभव यदि हो तो :

14. उपरोक्त विवरण के संबंध में सभी प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां अधिप्रमाणित कर प्रस्तुत कीं।

सहपत्र :- प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रती।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा-पत्र

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है। वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त माना जायेगा।

म.प्र. माध्यम/115013/2024

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

2106

संलग्नक-1



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF IN

By Registered Post

F. No. AD-11099/6/2021-ADMIN-R-HO

December 09, 2024

To

The Member Secretary
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parsar, E-5, Arera Colony
Bhopal, Madhya Pradesh-462016

Subject: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg.


Ref: Your letter dated November 04, 2024

Sir,

With reference to your letter dated November 04, 2024, requesting Central Pollution Control Board (CPCB) to inform whether a Centralized Recruitment Process has been conducted or is being conducted by the CPCB for the State Pollution Control Boards (SPCBs), as per the Hon'ble NGT order in O.A. 95/2018 dated February 05, 2021, so that the requirement of Assistant Engineer (Environment) and Scientist may be submitted to CPCB.

It is to inform that there is no such Central Selection Mechanism in CPCB. This is for your information and necessary action.

Yours sincerely,


(G. Thirumurthy)
DH- PCP Division

'परिवेश भवन' पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi - 110032

दूरभाष/Tel: 43102030, 22305792, वेबसाईट/Website : www.cpbc.nic.in

Fwd: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg

From : ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in>

Tue, Dec 10, 2024 10:23 AM

Subject : Fwd: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg

2 attachments

To : abhaya35@gmail.com, Legal Cell
<legalcell.pcb@mp.gov.in>

Cc : p patel415 <p_patel415@yahoo.com>, mohitbuch22@gmail.com

From: "PCP , CPCB" <pcp.cpcb@gov.in>

To: "ms msoffice" <ms-mppcb@mp.gov.in>

Cc: "Chairman CPCB" <ccb.cpcb@nic.in>, "MS, CPCB" <mscb.cpcb@gov.in>, "G Thirumurthy, CPCB" <thiru.cpcb@nic.in>

Sent: Monday, December 9, 2024 5:25:55 PM

Subject: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg

Sir,

Please find enclosed the letter dated December 09, 2024 in reference to your letter dated November 04, 2024 regarding the above-cited subject for your kind perusal.

With regards.

G. Thirumurthy, Scientist 'E' & Divisional Head

जी. तिरुमूर्ति, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रभाग प्रमुख

PCP Division, पी.सी.पी विभाग

Central Pollution Control Board, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Delhi – 110032, दिल्ली – ११००३२

Phone: 011-43102336, फोन : ०११-४३१०२३३६

— Letter to MP SPCB dated 09.12.2024.pdf

361 KB

— MPPCB Letter dated 04.11.2024.pdf

1 MB




मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742, e-mail: it.mpppcb@rediffmail.com

क्रमांक 3627 सा.प्र.-256 पार्ट-4 प्रतिबो 2024



प्रति,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नई दिल्ली।

विषय:- सहायक यंत्री (पर्यावरण) एवं वैज्ञानिक के पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कराने बाबत।

- संदर्भ:-
1. बोर्ड का पत्र क्रमांक 136, दिनांक 10/01/2024.
 2. बोर्ड का पत्र क्रमांक 539, दिनांक 06/02/2024.
 3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तों) विनियम 1996 की अनुसूची 3 में उल्लेखित सहायक यंत्री (पर्यावरण) एवं वैज्ञानिक के पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी प्रेषित की गई थी।

बोर्ड हेतु केन्द्रीयकृत भर्ती संबंधी कार्यवाही से संलग्नक पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु तत्संबंधी जानकारी अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024 द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुपालन में भर्ती संबंधी कार्यवाही शीघ्र ही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः कृपया केन्द्रीयकृत भर्ती संबंधी कार्यवाही से शीघ्रतिशीघ्र अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक 3628 सा.प्र.-256 पार्ट-4 प्रतिबो 2024

भोपाल, दिनांक
04 NOV 2024

प्रतिलिपि :-

निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनाार्थ।



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742



क्रमांक

4168

सा.प्र.-419/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक

-: कार्यालय आदेश :-

मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3-12/2023/1/3 भोपाल दिनांक 29 सितम्बर 2014 के प्रावधान अनुसार स्व. श्री शिरोमणि सिंह, भृत्य/चौकीदार, क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल के पुत्र श्री राहुल श्रीवास की अनुकम्पा नियुक्ति भृत्य/चौकीदार के पद पर पे-बैंड (लेवल-1) वेतनमान रूपये 15500-49000 में कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर निम्न शर्तों के अधीन की जाकर मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय भोपाल में पदस्थ किया जाता है:-

नियुक्ति की शर्तें:-

1. नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रशासन) म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल को उपस्थिति देनी होगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय निम्न शपथ-पत्र, एवं जानकारी प्रस्तुत करना होगी:-
 - संलग्न प्रपत्र में जंगम सम्मति का विवरण।
 - स्थानीय सिविल सर्जन से शारीरिक परीक्षण कराकर सेवा के लिये उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।
 - संलग्न प्रपत्र अनुसार रूपये 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा कि दिवंगत बोर्ड सेवक के परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय सेवा अथवा निगम मण्डल, परिषद आयोग आदि में नियोजित नहीं है।
 - संलग्न प्रपत्र में चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी।
3. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत कर मूल प्रति से स्थल पर सत्यापन कराना होगा, दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यतायें धारण नहीं करता है, अथवा संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने पर गलत पाया जाता है, तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
4. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, के परिपत्र क्रमांक एफ-सी-3-15/2012/1/3 दिनांक 24/11/2012 अनुसार कार्य पर उपस्थित



मध्य प्रदेश प्र२०१० नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742



होते समय (संलग्न प्रारूप) में रुपये 50/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का नोटरीज्ड शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि उनके विरुद्ध न तो कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित है, और न ही पूर्व के किसी मामले में सजा हुई है, और कोई असत्य जानकारी नहीं दी गई है तथा न ही कोई जानकारी छुपाई गई है। यदि पूर्व में कोई आपराधिक प्रकरण चला था तो उसका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

“यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी” पुलिस प्रमाणीकरण अथवा सत्यापन प्रतिकूल होने की अवस्था में नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा एवं असत्य शपथ-पत्र देने के लिये दण्डिक अभियोजन के भोगी होंगे।

5. अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त सेवक को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व इस आशय का वचन पत्र देना होगा कि दिवंगत शासकीय सेवक पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण पोषण करेगा। नियुक्ति उपरांत किसी भी समय प्रमाणित पाये जाने पर कि आपके द्वारा परिवार के सदस्यों का सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।”
6. अनुकंपा पर नियुक्त सेवक को सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 12/12/2019 अनुसार वेतनमान रुपये 19500-62000 कह 70% राशि प्रथम वर्ष, 80% राशि द्वितीय वर्ष एवं 90% राशि तृतीय वर्ष स्टापेंड के रूप प्रदान की जावेगी, परीक्षा पूर्ण करने पर ^{पद} ~~द्वारा~~ का वेतनमान स्वीकृत किया जावेगा।
7. अनुकम्पा पर नियुक्त सेवक द्वारा परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर अनुकंपा नियुक्ति समाप्त मानी जायेगी।
8. वर्तमान नियुक्ति अस्थायी है, उभय पक्ष द्वारा एक माह के पूर्व सूचना से सेवा समाप्त की जा सकेगी। एक माह की पूर्व सूचना न देने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि यथा स्थिति देय अथवा वसूली योग्य होगी।



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड


पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742



9. नियुक्ति के पश्चात् यदि यह पाया जाता है कि आवेदक अनुकंपा नियुक्ति के योग्य नहीं है, तो, अनुकंपा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
10. परीवीक्षा अवधि में स्थानान्तरण की पात्रता नहीं होगी।

संलग्न:- प्रपत्र



(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
भोपाल, दिनांक

19 DEC 2024

पृ0क0 सा.प्र.-419/प्रनिबो/2024
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, सदस्य सचिव म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 3. श्री राहुल श्रीवास पुत्र स्व. श्री शिरोमणि सिंह म.न.101 एफ- सेक्टर राजहर्ष कालोनी, अकबरपुर, कोलार रोड़ भोपाल।
- ✓ 4. व्यक्तिगत नस्ति/गार्ड फाईल



//True Copy//



1

WP-24972-2023

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
AT JABALPUR

BEFORE

HON'BLE SHRI JUSTICE SURESH KUMAR KAIT,
CHIEF JUSTICE

&

HON'BLE SHRI JUSTICE VIVEK JAIN

ON THE 5th OF DECEMBER, 2024

WRIT PETITION No. 24972 of 2023

SHUBHANSHU TRIPATHI

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WITH

WRIT PETITION No. 24764 of 2023

SATYAM MISHRA

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WRIT PETITION No. 25580 of 2023

SATISH KUMAR CHOUKSEY

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

WRIT PETITION No. 25604 of 2023

AJAY KUMAR MISHRA

Versus

THE STATE OF MADHYA PRADESH AND OTHERS

Appearance:

Shri Manoj Sharma - Sr. Advocate with Ms. Lavankya Verma- Advocate, Shri Quazi Fakhruddin- Advocate, Shri Somesh Awasthi and Shri Shivam Mishra - Advocate for the petitioners in their respective cases.

Ms. Janhavi Pandit - Additional Advocate General for the respondents / State.

Shri Anshul Tiwari - Advocate, Shri Siddharth Sharma- Advocate, Shri Nikhil Bhatt - Advocate, Shri Rahul Diwakar - Advocate and Shri Aman Gupta - Advocate for the respondents in their respective cases.

ORDER

Per. Hon'ble Shri Justice Suresh Kumar Kait, Chief Justice

The learned counsel appearing for the Pollution Control Board submits that they earlier tried to approach the M.P. Public Service Commission and M.P. Employees Selection Board to conduct an open examination for selection, but they did not give any heed and therefore, GATE scorecard criteria was adopted as an alternate mode of recruitment.

2. Ms. Janhavi Pandit, learned Additional Advocate General appearing on behalf of the State Government submits that in view of her instructions based on note sheet dated 16.04.2024, General Administration Department of State Government has given no objection for carrying out a recruitment examination through the M.P. Employees Selection Board.

3. The learned counsel appearing for the M.P. Employees Selection Board submits that they can conduct the examination upon receiving no objection from General Administration Department of the State Government and M.P. Public Service Commission. As already noted above, the General Administration Department has already given no objection.

4. Since we are not giving any opinion on the issues raised in the present petitions, we hereby **dispose of** all the petitions directing the M.P Employees Selection Board to conduct the recruitment examination and the question of no objection of PSC will not come in the way for the Employees Selection Board in conducting the examination.

(SURESH KUMAR KAIT)
CHIEF JUSTICE

(VIVEK JAIN)
JUDGE

nks

//True Copy//



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर ई-5 अरेरा कॉलोनी भोपाल-462016

(0755) 2464428 2466191 फैक्स (0755) 2463742

क्रमांक 319/ सा.प्र.-बीएम-168/प्रनिबो/2024

भोपाल दिनांक

30 SEP 2024

प्रति,

- 1 श्री गुलशन बामरा, अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
- 2 प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि
- 3 प्रमुख सचिव, उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, अथवा प्रतिनिधि
- 4 संचालक, औद्योगिक स्वस्थ्य एवं सुरक्षा अथवा प्रतिनिधि, इन्दौर
- 5 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग अथवा प्रतिनिधि, भोपाल
- 6 आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश अथवा प्रतिनिधि
- 7 कार्यपालन संचालक, एफ्को अथवा प्रतिनिधि
- 8 प्रबंध संचालक, म0प्र0 लघु उद्योग निगम अथवा प्रतिनिधि
- 9 श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल

विषय :- दिनांक 27 सितम्बर, 2024 को सम्पन्न राज्य बोर्ड की 168वीं बैठक के कार्यवाही विवरण बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत राज्य बोर्ड की 168वीं बैठक दिनांक 27 सितम्बर, 2024 का कार्यवाही विवरण संलग्न है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(पृ.क्र. 1 से 22)

OLC

(ए.ए. मिश्रा)

सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा
(प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियम, 1996
(प्रकाशन दिनांक तक संशोधन एवं अद्यतीकरण सहित, 2024)

क्र. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (क्रमांक 6/1974) की धारा 12 की उप धारा 3 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य शासन के अनुमोदन से प्रकाशन दिनांक तक संशोधन एवं अद्यतीकरण सहित, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

यह विनियम मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियम, 1996 यथा संशोधित 2024 कहलायेंगे। यह विनियम "मध्य प्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

- (1) "नियुक्ति प्राधिकारी" (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) से तात्पर्य अध्यक्ष, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से है।
- (2) "सेवा" से तात्पर्य, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) सेवा से है।
- (3) "शासन से तात्पर्य है, मध्य प्रदेश शासन",
- (4) "अनुसूची" से तात्पर्य इन विनियमों में संलग्न सूची से है।
- (5) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित जनजातियों" का वही अर्थ होगा जो उनके लिए संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड 24 और (25) में क्रमशः दिया गया है तथा उससे तात्पर्य ऐसी जातियों तथा जन-जातियों से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये।
- (6) "अन्य पिछड़े वर्ग" से तात्पर्य ऐसी जातियों से है, जिन्हें शासन समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित करे। इन जातियों में से अपवाद होंगे, जिन्हें शासन द्वारा समय-समय पर "क्रीमी लेयर" परिभाषित किया जाये।
- (7) "बोर्ड से तात्पर्य है, "म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"।
- (8) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से तात्पर्य है, संविधान संशोधन के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू. एस.) जो संविधान के अनुच्छेद-341 एवं 342 के अन्तर्गत मध्य प्रदेश राज्य के लिये अधिसूचित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85- 25-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग को प्रदत्त आरक्षण की परिधि में नहीं आते हैं, को शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश एवं शासकीय नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी मध्य

म.प्र.

प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ-07-1/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 2 जुलाई 2019 से होगा जो शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में अधिसूचित की जाये ।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :

अभी तक अपनाये गये मध्य प्रदेश शासन के मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) विनियम, 1961 में दिये उपबंधों को बोर्ड की सेवाओं पर यथा स्थिति लागू होने की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये विनियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. सेवा का गठन :

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात् :-

- (1) वे व्यक्ति जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों,
- (2) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये हों, और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन विनियमों के उपबंधों के अनुसार, सेवा में भर्ती किये जायेंगे।

5. वर्गीकरण तथा वेतनमान :

सेवा का वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगी, परन्तु बोर्ड समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगा। इसी प्रकार वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के मामले में, यदि परिस्थितियों की यह आवश्यकता हो तो राज्य शासन की सहमति से बोर्ड वेतनमान भी संशोधित कर सकेगा।

6. भर्ती का तरीका :

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जावेगी अर्थात् :-
 - (क) अनुसूची-तीन के स्तंभ 6 के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विधि से।
 - (ख) अनुसूची-चार के स्तम्भ (2) के अनुसार सेवा के सदस्यों के चयन द्वारा।
- (2) उप विनियम वर्ग के खण्ड (1) तथा (2) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या किसी समय अनुसूची-दो में उल्लेखित पदों के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- (3) इन विनियमों के उपबंधों के अध्यायिन भर्ती किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा की किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाए जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर इन विनियमों के अन्तर्गत उल्लेखित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जावेगी।

(Handwritten signature)

7. सेवा में नियुक्ति :

इन विनियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जावेगी तथा ऐसी कोई भी नियुक्ति विनियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् ही की जावेगी अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें :

चयन किए जाने के लिए पात्र होने की दृष्टि से उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी अर्थात् :-

(1) आयु :-

(क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उसने उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का हो, तो आयु की उच्चतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की शिथिलता दी जायेगी।

(ग) ऐसे उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन के इस बोर्ड के अथवा किसी अधिविनियम के अन्तर्गत गठित बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्था के अधिकारी हों या रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा शर्त के अध्ययन रहते हुए शिथिलता दी जावेगी।

सीधी भर्ती के उम्मीदवार जो मध्य प्रदेश शासन, इस बोर्ड अथवा किसी बोर्ड या स्वायत्तशासी संस्थाओं से छटनी किए गए हों उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अवधि अधिक से अधिक 7 वर्ष की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवा के कारण हो कम करने की अनुमति दी जावेगी, बशर्ते कि इसके फलस्वरूप जो आयु निकले यह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :-

“छटनी किए गए अधिकारी” से तात्पर्य ऐसे व्यक्तिय से है, जो इस राज्य की शासकीय सेवा अथवा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अस्थायी सेवा में कम से कम 3 माह की निरन्तर कालावधि तक रहा हो तथा रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा मण्डल में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(घ) ऐसे उम्मीदवार जो “भूतपूर्व सैनिक” हो, उसे अपने आयु में उसके द्वारा पूर्व में की गई अधिकतम सात वर्ष की प्रतिरक्षा सेवा भले ही यह एक से अधिक मौकों की हो की कालावधि कम करने की अनुमति दी जावेगी बशर्ते की परिणामी आयु अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

Signature

स्पष्टीकरण :-

पद "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा या बोर्ड की सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष से पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या स्थापना में सामान्य कमी किये जाने के कारण छटनी कर दी गई थी या जिसे अधिशिष्ट (सरप्लस) घोषित कर दिया था:-

- (i) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कंसेशन) के अधीन नियुक्त किया गया है।
 - (ii) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया है तथा जिसे (क) अल्पावधि कार्य पूर्ण हो जाने पर, (ख) भर्ती की शर्तों को पूर्ण कर लेने पर सेवा मुक्त कर दिया गया है।
 - (iii) अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सहित ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा सिविल) जिन्हें उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवामुक्त किया गया है।
 - (iv) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य पर लेने के पश्चात् सेवा मुक्त किया गया है।
 - (v) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है।
 - (vi) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने, घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया है।
- (ड.) विधवा या तलाकशुदा महिला उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।
 - (च) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत (ग्रीन कार्ड) धारण करने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल की जावेगी।
 - (छ) अर्न्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत ऐसे सवर्ण पार्टनर के लिए, जिन्हें मध्य प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत किया गया है, अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
 - (ज) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित उम्मीदवार के मामले में भी अधिकतम आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जायेगी।
 - (झ) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में जो मध्य प्रदेश निगमों/बोर्डों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जायेगी।

- (ज) स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालंटीयर होम गार्ड्स) तथा नगर सैनिकों के नाम कमीशण्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए 8 वर्ष तक की सीमा के अधीन रहते हुए, शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टिप्पणी :-

- (i) उन उम्मीदवारों की जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) में वर्णित आयु में रियायत के अधीन चयन के लिए ग्राह्य किया गया है, उस स्थिति में नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी यदि वे आवेदन करने के पश्चात् या तो चयन किए जाने के पूर्व या पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् मूल सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तथापि यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाये तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।
 - (ii) किसी भी अन्य दशा में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जाएगी।
 - (iii) विभागीय उम्मीदवारों को किसी पद के लिए आवेदन करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।
- (2) शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव :-
प्रत्येक उम्मीदवार के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं और जहां कहीं दर्शित हो अनुभव भी होना चाहिए जो कि अनुसूची-तीन में दर्शाई गई है:-
- (1) आपवादिक मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे उम्मीदवार को चयन समिति/बोर्ड की सिफारिश पर अर्हता मान सकेगा, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई नहीं रखता है, किन्तु जिसने किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो, जो राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त हो तथा नियुक्ति अधिकारी के मत से आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं के समतुल्य हो जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी की राय में उम्मीदवार चयन के लिये अर्हता रखता हो, और
 - (2) ऐसे उम्मीदवार के जो अन्यथा अर्ह है, किन्तु जिन्होंने ऐसी विदेशी विश्वविद्यालयों से, जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता प्रदान नहीं की गई है, उपाधियां प्राप्त की हैं, चयन के लिए भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार विचार किया जा सकेगा।
 - (3) शुल्क :-
उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अनुसूचित जाति जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क भुगतान करने से छूट होगी।

अर्हता

9. अनर्हता :-

उम्मीदवारों की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी और यदि चयन समिति गठित हो तो चयन समिति उस उम्मीदवार को चयन के लिए अनर्ह मान सकेगी।

10. नियुक्ति प्राधिकारी का उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होना :-

प्रश्न करने के लिए उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसे नियुक्ति, प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिए सर्टिफिकेट न दिया गया हो उसे न साक्षात्कार किया जावेगा और न ही उसकी नियुक्ति पर विचार।

11. प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- (1) सेवा में भर्ती के लिए चयन ऐसे अन्तरालों में किया जायेगा जैसा कि बोर्ड समय-समय पर अवधारित करें।
- (2) चयन समिति द्वारा चयन की प्रक्रिया ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जावेगी जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर जारी करें।
- (3) सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) विनियम 1998 के उपबंधों के अनुसार उपलब्ध रिक्तियों के अधिकारियों की सेवा में पदों के क्रमशः सोलह प्रतिशत अनुसूचित जाति, बीस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, सत्ताइस प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दस प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों हेतु आरक्षित होंगे तथा इस सन्दर्भ में आरक्षण का प्रतिशत तत्समय पर मध्य प्रदेश शासन के प्रभावशील विनियमानुसार लागू होंगे।
- (4) इस प्रकार आरक्षित स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम विनियम 13 में विनिर्दिष्ट सूची में आते हो, चाहे अन्य उम्मीदवार की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।
- (5) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के हो और जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी या प्रशासन में दक्षता बनाएं रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उप विनियम (ग) के अधीन यथा स्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्ति किया जा सकेगा।
- (6) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी, उनके लिए आरक्षित सभी रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में

अभ्यास

उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी भी रीति में अन्य अभ्यर्थियों से भरी नहीं जायेंगी।

- (7) सरकार द्वारा शारीरिक रूप से दिव्यांगजनों/निःशक्तजनों के लिये आरक्षण के उपबंध होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाइज होंगे।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची :-

- (1) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी को (1) अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार उम्मीदवारों की योग्यता क्रम बनाई गई सूची तथा (2) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि चयन समिति द्वारा चयन हेतु निर्धारित मापदण्ड के न होने पर जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो।
- (2) इन विनियमों तथा म.प्र. शासन के म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) विनियम 1961 के उपबंधों के अध्यक्षीन उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के बारे में उसी क्रम में विचार किया जावेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हो।
- (3) जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उसके द्वारा उम्मीदवार के पूर्व वृत्त के संबंध में आवश्यक समझी जाने वाली जांच पड़ताल से समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है, तब तक उप विनियम 12(क) में उल्लेखित सूची में केवल उम्मीदवार का नाम शामिल होने से ही उसे नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकेगा।
- (4) चयन समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची नियुक्ति कर्ता अधिकारी या बोर्ड के अंतिम अनुमोदन की दिनांक से एक वर्ष की कालावधि तक के लिये विधिमान्य रहेगी।

13. चयन द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पात्र अभ्यर्थियों के चयन के लिये अनुसूची-चार के कॉलम-5 में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक चयन समिति गठित की जायेगी।
- (2) समिति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार, अनुसूची-चार के कॉलम 3 में उल्लेखित पदों से अनुसूची-चार के कॉलम 4 में उल्लेखित पदों के लिये समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन :- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उनके द्वारा जारी किये जाने वाले चयन आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिविनियम 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी विनियमों के उप-खण्डों के अधीन जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया है।
- (4) चयन समिति की बैठक ऐसे अन्तरावधियों पर होगी जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो,



14. चयन के लिए पात्रता की शर्तें :-

- (1) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई चयन नीति के उपबन्धों के अनुसार समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उन पदों पर उतने वर्षों की सेवा, (चाहे स्थानापन्न रूप से या मूल रूप में) पूर्ण कर ली थी, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है।
- (2) परन्तु इस विनियम के अधीन किसी कनिष्ठ व्यक्ति को केवल उसकी अर्हकारी सेवा की कालावधि पूर्ण करने के आधार पर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति के पहले विचार नहीं किया जायेगा।
- (3) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए चयन, वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार करना :-

- (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार करेगी जो विनियम 14 में निहित की गई शर्तों को पूरा करते हों और जो सेवा में चयन के लिए समिति द्वारा उपयुक्त ढहराये गए हों। चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति तथा चयन के कारण होने वाले पूर्वमानित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी। प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत व्यक्तियों की एक रक्षित सूची भी उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये तैयार की जायेगी।
- (2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन, “वरिष्ठता पर समुचित रूप से ध्यान देते हुये योग्यता” तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगी।
- (3) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम ऐसी चयन-सूची के तैयार करते समय अनुसूची-चार के कॉलम 2 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :-

- ऐसे व्यक्ति, जिनका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो किन्तु जिन्हे चयन सूची की विधि मान्यता के दौरान पदोन्नत न किया गया हो केवल उनके पूर्वतर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के उपर जिनपर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे।
- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची को गुण दोष के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा। यदि चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

16. चयन सूची :-

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कॉलम 3 में दर्शाये अनुसार सेवा के सदस्यों की चयन के लिये चयन सूची होगी। चयन सूची जब तक कि विनियम 15 के उपविनियम (घ) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण नहीं किया जाता, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने



की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी, परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किये गये किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूके होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्ररणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

- (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों को, यदि कोई हो, विचार में लेने के पश्चात् सूची को ऐसे उपान्तरणों के साथ, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायासंगत तथा उचित हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।
- (3) चयन द्वारा सेवा में नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर सरकार द्वारा ऐसी कालावधि को एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके उपरान्त कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर चयन से वंचित किया जा सकेगा। इस संबंध में बोर्ड का विनिश्चय अंतिम होगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की केडर के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जावेगी जिस क्रम में उनके नाम अनुमोदित चयन सूची में है।

18. परिवीक्षा :-

सेवा में भर्ती किए गए प्रत्येक अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा बशर्ते कि स्पष्ट रिक्तियां हों अन्यथा सभी नियुक्तियां अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक की जावेगी।

19. सेवा की अन्य शर्तें :-

सेवा की सामान्य शर्तें, आचरण एवं अनुशासन के संबंध में शासन के निम्न विनियम जैसे कि समय-समय पर प्रभावी हो, सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे :-

- (1) मध्य प्रदेश सिविल सेवा (जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स, 1961
- (2) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (कन्डक्ट) रूल्स, 1965
- (3) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1966 इस संशोधन के साथ कि नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील राज्य शासन, पर्यावरण विभाग के सम्मुख हो सकेगी जो प्रकरण पर विचार हेतु बनाई समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लेंगे जो अंतिम होगा. यह समिति तीन अधिकारियों की हो सकेगी. जिनमें से एक बोर्ड का वरिष्ठ अधिकारी होगा. इसी तरह

आमर

वेतनमान, वेतन निर्धारण, मंहगाई भत्ते, अवकाश तथा अर्धवार्षिक के मामलों में समय-समय पर शासकीय सेवकों को प्रभावी आदेश सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

- (4) मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिविनियम, 1967 यथा संशोधित द्वारा मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 तथा वित्त विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश क्रमांक आर-298/1018/ 2018/विनियम/चार भोपाल दिनांक 27 अप्रैल 2018
- (5) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (पेंशन) विनियम, 1976
- (6) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (अवकाश) विनियम, 1977
- (7) मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेस (चिकित्सा परिचर्या) विनियम, 1958

20. निर्वहन :-

यदि इन विनियमों के निर्वहन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह बोर्ड को निर्दिष्ट किया जाएगा और इस पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

21. छूट :-

इस विनियमों की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यह ऐसे व्यक्ति के मामले में जिनको यह विनियम लागू होते हैं, राज्य बोर्ड की ऐसे रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो उसके उचित व न्याय संगत प्रतीत हो परन्तु मामले पर कार्यवाही किसी ऐसी रीति से नहीं की जावेगी जो कि इन विनियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. व्यावृत्ति :-

इन विनियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य रियायतों के लिए उपबंध किए जाने को प्रभावित नहीं करेगी।

23. निरसन एवं व्याप्ति :-

इस विनियम के जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) मध्य प्रदेश विनियम 1975 में सम्मिलित तत्स्थली समस्त विनियम तथा बोर्ड द्वारा लागू तत्संबंधी प्रशासनिक आदेश जो कि इन विनियमों के प्रारंभ होने के पूर्व लागू थे. इस विनियम के प्रभावशील होने पर निरस्त किए जाते हैं. परन्तु इस प्रकार निरसित किये विनियमों तथा आदेश के अधीन की गई कार्यवाही इन विनियमों के उपबंधों के अधीन की गई कार्यवाही मानी जावेगी।

अक्षर

क्र०	पदनाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)
1	2	3	4	5
I	यांत्रिकी सेवार्य			
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700(लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
II	वैज्ञानिकी सेवार्य			
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	141800-214700 (लेवल-17 ग्रेड पे 10000)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	02	प्रथम श्रेणी	129700-214300 (लेवल-16 ग्रेड पे 8900)
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	04	प्रथम श्रेणी	123100-215900 (लेवल-15 ग्रेड पे 8700)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	14	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	22	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	84	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
III	प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्य			
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	01	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफिसर	02	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	14	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	02	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	02	प्रथम श्रेणी	79900-211700 (लेवल-14 ग्रेड पे 7600)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	05	प्रथम श्रेणी	67300-206900 (लेवल-13 ग्रेड पे 6600)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	10	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
IV	जनसम्पर्क एवं आईटी सेवार्य			
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	01	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	04	द्वितीय श्रेणी	56100-177500 (लेवल-12 ग्रेड पे 5400)

अ.सि.ए.

2126

अनुसूची-दो

(सीधी भर्ती/चयन से भरे जाने वाले पदों की संख्या)

(विनियम-6 देखिये)

12
3: 5

क्रं	पदनाम	श्रेणी	कुल पद संख्या	भरे जाने का प्रतिशत व संख्या	
				सीधी भर्ती	चयन
1	2	3	4	5	6
I. यांत्रिकी सेवार्ये					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	01	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रथम श्रेणी	22	--	01 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	द्वितीय श्रेणी	04	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
II. वैज्ञानिकी सेवार्ये					
1	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	04	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
4	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी	प्रथम श्रेणी	14	--	14 (100 प्रतिशत)
5	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ	प्रथम श्रेणी	22	--	22 (100 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	द्वितीय श्रेणी	04	42 (50 प्रतिशत)	42 (50 प्रतिशत)
III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्ये					
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी	प्रथम श्रेणी	01	--	02 (100 प्रतिशत)
3	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफिसर	प्रथम श्रेणी	02	--	02 (100 प्रतिशत)
4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	04	07 (50 प्रतिशत)	07 (50 प्रतिशत)
5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	द्वितीय श्रेणी	04	02 (50 प्रतिशत)	02 (50 प्रतिशत)
6	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड- एक	द्वितीय श्रेणी	04	--	04 (100 प्रतिशत)
7	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष विधि सलाहकार	प्रथम श्रेणी	01	--	22 (100 प्रतिशत)
8	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी	प्रथम श्रेणी	05	--	05 (100 प्रतिशत)
9	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	द्वितीय श्रेणी	10	05 (50 प्रतिशत)	07 (50 प्रतिशत)
IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवार्ये					
1	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष सम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	01	--	01 (100 प्रतिशत)
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्षसहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग काडर घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	द्वितीय श्रेणी	01	02 (100 प्रतिशत)	--
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष कम्प्यूटर प्रोग्रामर/ऑपरेटर	द्वितीय श्रेणी	04	04 (100 प्रतिशत)	आउट सोर्सिंग के माध्यम से

आइटी

2127

अनुसूची-तीन

(सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)

(विनियम-8 देखिये)

13
37

कं	पदनाम	निम्नतर आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	चयन का प्रकार
1	2	3	4	5	6
I. यांत्रिकी सेवार्यें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग ।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
II. वैज्ञानिक सेवार्यें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक	21	40*	जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैविक विज्ञान /भूगर्भ विज्ञान/ पृथ्वी विज्ञान/ रसायनिक विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विनियम 2010 या समय समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी।	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्यें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
2	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं लेखा)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.ए.	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा
IV. जनसम्पर्क एवं आईटी सेवार्यें					
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक जनसम्पर्क अधिकारी(डाइंग कार्ड घोषित कर आउटसोर्स कंसल्टेंट)	21	40*	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन /जर्नलिज्म/ पब्लिक रिलेशन में स्नातकोत्तर उपाधि	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा

नोट :

- *अधिकतम आयु सीमा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी-3-11/12/13/ 1/3 भोपाल दिनांक 03/11/2012 एवं संशोधित आदेश दिनांक 20/12/2012 के अनुसार है, भविष्य में मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयु सीमा के संबंध में किये जाने वाले संशोधन बोर्ड में स्वतः लागू माने जायेंगे।

2128

अनुसूची-चार

(चयन से भरे जाने वाले पदों हेतु निर्धारित अर्हता)
(विनियम-6 एवं 14 देखिये)

14
37 2

कं.	पद का नाम जिससे चयनित किया जाना है	पद का नाम जिस पर चयनित किया जाना है	आवश्यक शैक्षणिक योग्यता व अनुभव	चयन समिति के सदस्य
1	2	3	4	5
I.	यांत्रिकी सेवार्ये			
1	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (पर्यावरण)	अधिसमय वेतनमान डायरेक्टर (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंता (पर्यावरण)*	अतिरिक्त अधिसमय श्रेणी वेतनमान समकक्ष एडीशनल डायरेक्टर (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य अभियंतापद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य अभियंता (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
4	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री (पर्यावरण)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष अधीक्षण यंत्री (पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर व स्नातक स्तर पर सिविल इंजीनियरिंग। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य

प्रकाशक

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष कार्यपालन यंत्री(पर्यावरण) (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
6	उपयंत्री (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	(1) सिविल अभियांत्रिकी में उपाधि के साथ उपयंत्री के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा। (2) सिविल अभियांत्रिकी में पत्रोपाधि के साथ उपयंत्री पद पर 08 वर्ष की लगातार सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
7	मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक यंत्री (पर्यावरण) (द्वितीय श्रेणी)	(1) मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार पद पर 12 वर्ष की लगातार सेवा। (2) सेवा के दौरान बी.ई.डिग्री प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिये मुख्य मानचित्रकार/ मानचित्रकार पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
II. वैज्ञानिक सेवार्ये				
5	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अधिसमय वेतनमान समकक्ष प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य
2	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	अतिरिक्त अधिसमय वेतनमान समकक्ष अतिरिक्त प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी सदस्य


3	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
4	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	प्रवर श्रेणी वेतनमान समकक्ष वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (प्रथमश्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा तथा जीव विज्ञान/ वनस्पति विज्ञान/ जैविक विज्ञान /भूगर्भ विज्ञान/ पृथ्वी विज्ञान/ रसायनिक विज्ञान/ पर्यावरण विज्ञान विषय में सहायक प्राध्यापक के पद के लिये निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्व विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अन्य अकादमिक संवर्गों में उच्च शिक्षा का स्तर बनाये रखने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं अन्य मापदण्ड विनियम 2010 या समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा अंगीकृत विनियमों के अनुसार लागू होंगी। (उक्त शैक्षणिक योग्यता इन विनियमों के राजपत्र में प्रकाशन होने के पूर्व से बोर्ड में कार्यरत अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।)	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य

Signature

5	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष मुख्य रसायनज्ञ (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
6	कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष वैज्ञानिक (द्वितीय श्रेणी)	<p>(1) एम.एससी.उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p> <p>(2) बी.एससी. उपाधि के साथ कनिष्ठ वैज्ञानिक/रसायनज्ञ के पद पर 08 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
III. प्रशासन, विधि एवं लेखा सेवार्ये				
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष वित्त अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
1	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष प्रशासकीय अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
3	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टॉफ ऑफिसर (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष शीघ्रलेखक ग्रेड-1 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	<ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियंत्रण एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य

Signature

4	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखापाल (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	अधीक्षक/ वरिष्ठ लेखापाल के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण निर्यात एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
5	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 (द्वितीय श्रेणी)	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण निर्यात एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
6	वरिष्ठ आडिटर/ समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष अनुभाग अधिकारी (बजट एवं आडिट) (द्वितीय श्रेणी)	(1) ग्रेड-पे 4200 के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा। (2) बी.कॉम के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन में एमबीए डिग्री।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण निर्यात एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
4	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	वरिष्ठ वेतनमान समकक्ष विधि अधिकारी (प्रथम श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी के पद पर 05 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण निर्यात एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य
8	विधि सहायक (तृतीय श्रेणी)	कनिष्ठ वेतनमान समकक्ष सहायक विधि अधिकारी (द्वितीय श्रेणी)	विधि सहायक ग्रेड-1 के पद पर 5 वर्ष की लगातार नियमित सेवा।	1. अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - अध्यक्ष 2. कार्यपालन संचालक, पर्यावरण निर्यात एवं समन्वयसंगठन - सदस्य 3. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग - सदस्य 4. सदस्य सचिव, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड - संयोजक सदस्य 5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व करने वाला अधिकारी - सदस्य



//True Copy//



मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

0755-2464428, 2466191, फैक्स: (0755) 2463742 Email: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 3194 सा.प्र./बीएम-168/प्रनिबो/2024

भोपाल, दिनांक 01 OCT 24


प्रति,

प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,
भोपाल (म.प्र.)।


विषय:- मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्त विनियम 1996 (प्रकाशन दिनांक तक संशोधन एवं अद्यतीकरण सहित 2024) में पारित प्रस्ताव का अनुमोदन एवं अधिसूचना का प्रकाशन ।

उपरोक्त विषय में लेख है, कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) भर्ती तथा सेवा शर्त विनियम 1996 (प्रकाशन दिनांक तक संशोधन एवं अद्यतीकरण सहित 2024) का प्रस्ताव राज्य बोर्ड की 168 वीं बैठक दिनांक 27/09/2024 के एजेण्डा बिन्दु क्रमांक 168.3 में प्रस्ताव पारित हुआ है, कि प्रति संलग्न है । कृपया राज्य शासन का अनुमोदन एवं तदुपरान्त अधिसूचना के प्रकाशन की कार्यवाही करने का निवेदन है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल



//True Copy//



केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE, GOVT. OF INDIA

By Registered Post

F. No. AD-11099/6/2021-ADMIN-R-HO

December 09, 2024

To

The Member Secretary
Madhya Pradesh Pollution Control Board
Paryavaran Parsar, E-5, Arera Colony
Bhopal, Madhya Pradesh-462016

Subject: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg.


Ref: Your letter dated November 04, 2024

Sir,

With reference to your letter dated November 04, 2024, requesting Central Pollution Control Board (CPCB) to inform whether a Centralized Recruitment Process has been conducted or is being conducted by the CPCB for the State Pollution Control Boards (SPCBs), as per the Hon'ble NGT order in O.A. 95/2018 dated February 05, 2021, so that the requirement of Assistant Engineer (Environment) and Scientist may be submitted to CPCB.

It is to inform that there is no such Central Selection Mechanism in CPCB. This is for your information and necessary action.

Yours sincerely,



(G. Thirumurthy)
DH- PCP Division

‘परिवेश भवन’ पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली-110032

Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar, New Delhi - 110032

दूरभाष/Tel: 43102030, 22305792, वेबसाइट/Website : www.cpbc.nic.in

Fwd: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg

From : ms msoffice <ms-mppcb@mp.gov.in> Tue, Dec 10, 2024 10:23 AM
Subject : Fwd: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg  2 attachments
To : abhaya35@gmail.com, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>
Cc : p patel415 <p_patel415@yahoo.com>, mohitbuch22@gmail.com

From: "PCP , CPCB" <pcp.cpcb@gov.in>
To: "ms msoffice" <ms-mppcb@mp.gov.in>
Cc: "Chairman CPCB" <ccb.cpcb@nic.in>, "MS, CPCB" <mccb.cpcb@gov.in>, "G Thirumurthy, CPCB" <thiru.cpcb@nic.in>
Sent: Monday, December 9, 2024 5:25:55 PM
Subject: Central Selection mechanism for filling of the vacancy of SPCBs/ PCCs as per O.A. 95/2018 order dated February 05, 2021 - reg

Sir,

Please find enclosed the letter dated December 09, 2024 in reference to your letter dated November 04, 2024 regarding the above-cited subject for your kind perusal.

With regards,

G. Thirumurthy, Scientist 'E' & Divisional Head

जी. तिरुमूर्ति, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रभाग प्रमुख

PCP Division, पी.सी.पी विभाग

Central Pollution Control Board, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Delhi – 110032, दिल्ली – ११००३२

Phone: 011-43102336, फोन : ०११-४३१०२३३६

 **Letter to MP SPCB dated 09.12.2024.pdf**
361 KB

 **MPPCB Letter dated 04.11.2024.pdf**
1 MB



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

(0755) 2464428, 2466191 Fax: (0755) 2463742, e-mail: it.mppcb@rediffmail.com

क्रमांक 3627 सा.प्र.-256/पार्ट-4/प्रनिबो/2024



प्रति,

सदस्य सचिव,
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
नई दिल्ली।

विषय:- सहायक यंत्री (पर्यावरण) एवं वैज्ञानिक के पद पर भर्ती संबंधी कार्यवाही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से कराने बाबत।

- संदर्भ:-
1. बोर्ड का पत्र क्रमांक 136, दिनांक 10/01/2024.
 2. बोर्ड का पत्र क्रमांक 539, दिनांक 06/02/2024.
 3. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024.

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेवा (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) (भरती तथा सेवा शर्तें) विनियम 1996 की अनुसूची 3 में उल्लेखित सहायक यंत्री (पर्यावरण) एवं वैज्ञानिक के पद हेतु आवश्यक शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी प्रेषित की गई थी।

बोर्ड हेतु केन्द्रीयकृत भर्ती संबंधी कार्यवाही से संलग्नक पत्रों के माध्यम से अवगत कराने का अनुरोध किया गया था, परन्तु तत्संबंधी जानकारी अप्राप्त है।

उल्लेखनीय है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण का प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 693/2023 द्वारा पारित आदेश दिनांक 11/09/2024 द्वारा आदेश के अनुपालन में भर्ती संबंधी कार्यवाही शीघ्र ही किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

अतः कृपया केन्द्रीयकृत भर्ती संबंधी कार्यवाही से शीघ्रातिशीघ्र अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

क्रमांक 3628 सा.प्र.-256/पार्ट-4/प्रनिबो/2024

सदस्य सचिव
म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल
भोपाल, दिनांक
04 NOV 2024

प्रतिलिपि :-

निज सचिव, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनाार्थ।

//True Copy//

2137



Jaskirat Singh <jaskirat@srcolegal.in>

Advance Service of Progress Report filed on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (R-13) in Compliance with the Order dated 11.09.2024 passed by Hon'ble NGT in OA 693 of 2023.

1 message

Jaskirat Singh <jaskirat@srcolegal.in>

Thu, Jan 2, 2025 at 4:56 PM

To: pcp.cbcg@gov.in, rameshwar.cpcb@nic.in, thiru.cpcb@nic.in

Cc: Raghav Sharma <raghav@srcolegal.in>, Office - SRCO <office@srcolegal.in>, Legal Cell <legalcell.pcb@mp.gov.in>, "Dr. Abhaya Kumar Saxena" <abhaya35@gmail.com>

ADVANCE SERVICE

Respected Sir,

Please find attached herewith an Advance Copy of the Progress Report filed on behalf of Madhya Pradesh Pollution Control Board (R-13) in Compliance with the Order dated 11.09.2024 passed by Hon'ble NGT OA 693 of 2023.

You are kindly requested to acknowledge the receipt of the same.

Regards,

Adv. Jaskirat Pal Singh
(+91) 9811667800

On behalf of

Adv. Raghav Sarma
Retained Counsel for MP PCB
(+91) 8527066461**Progress Report OA 693 OF 2023.pdf**

12088K